कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर–831001)
दूरभाष संख्या– 0657–2231017, फैक्स–0657–2231017, ई–मेल– dfo-jamshedpur@gov.in

पत्रांकः 1329 /जमशेदपुर   दिनांकः 25-06-2022

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
जमशेदपुर।

विषय :– धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के विकास हेतु 99.256 हेक्टर वनभूमि अपयोजन का पुनरीक्षित प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 265 दिनांक 09.04.2020 एवं पत्रांक 199 दिनांक 02.03.2022 तद्नुसार क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का ज्ञापांक 442 दिनांक 05.03.2022 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का ज्ञापांक 343 दिनांक 23.03.2022

2. इस कार्यालय का पत्रांक 1634 दिनांक 24.06.2020, पत्रांक 1883 दिनांक 14.07.2020, पत्रांक 2488 दिनांक 08.09.2020, पत्रांक 2788 दिनांक 16.10.2020, पत्रांक 3277 दिनांक 17.12.2020, पत्रांक 257 दिनांक 05.02.2021, पत्रांक 757 दिनांक 18.03.2021, पत्रांक 1397 दिनांक 06.07.2021, पत्रांक 1203 दिनांक 08.06.2022, एवं पत्रांक 1204 दिनांक 08.06.2022

3. श्री विनोद शर्मा, विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुण्डा विमानपत्तन, राँची का पत्रांक 733 दिनांक 26.11.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रस्ताव में उठाई गई आपत्तियों के निराकरण के संबंध में प्रतिवेदन निम्नवत है :–

क्र० सं०	आपत्ति	अनुपालन
1	Cost-Benefit Analysis Report में NPV 0.7 Density से अधिक भरकर गणना की गई है जबकि DFO के Part-II में Density 0.7 अंकित है। अतएव इसमें सुधार अपेक्षित है।	DFO के Part-II में ऑनलाईन (Online) एवं ऑफलाईन (Offline) में प्रस्तावित वनभूमि का घनत्व (Density) 0.71 के रूप में अंकित कर दिया गया है।
2	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न कर समर्पित किए गए Part-II ऑफलाईन एवं भरे गए ऑनलाईन Part-II के क्रमांक 13 "Specific Recommendation of DFO" में अंकित टिप्पणी विरोधात्मक है।	प्रस्ताव के Part-II में "Specific Recommendation of DFO" को पुनः अंकित कर अलग से समर्पित की जाएगी।

<table>
<tr><td>3</td><td>वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा भरे गए Part-II ऑफलाईन में Rare/Endangered/Unique Species के नाम का उल्लेख किया गया है किन्तु Online Part-II में क्रमांक 8(V) में "Yes" अंकित है परन्तु Details उल्लेखित नहीं है।</td><td>Online Part II में क्रमांक 8(V) में "Yes" अंकित करते हुए Details उल्लेखित कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक – 01)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रस्ताव के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति संलग्न नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन करने की सूचना अंकित है किन्तु इस संबंध में समर्पित आवेदन की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर नहीं किया गया है।</td><td>श्री के०एल० अग्रवाल, विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुण्डा विमानपत्तन, राँची ने अपने पत्रांक 1400 दिनांक 14.06.2022 के द्वारा सूचित किया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक – 02)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रस्ताव के साथ वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है। साथ ही ग्रामसभा की कार्यवाही की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।</td><td>इस कार्यालय के पत्रांक 1204 दिनांक 08.06.2022 (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक – 03) द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को प्रस्ताव से संबंधित वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति समर्पित करने हेतु स्मार दिया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही समर्पित कर दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रस्ताव के साथ समर्पित Land Schedule में थाना एवं थाना संख्या अंकित नहीं है।</td><td>प्रस्ताव के साथ समर्पित Land Schedule में थाना एवं थाना संख्या Online अंकित कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक – 04)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>प्रस्ताव के साथ समर्पित CA Land Suitability Certificate विहित प्रपत्र में नहीं है।</td><td>वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 04.01.2022 को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित पुनरीक्षित अवकृष्ट वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Suitability Certificate) विहित प्रपत्र में निर्गत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक – 05)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्रस्ताव के साथ समर्पित क्षतिपूरक प्रस्ताव में निम्नलिखित स्थलवार त्रुटियाँ पायी गई है निम्नवत् अंकित है :–
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>स्थल का नाम</th><th>CA हेतु प्रस्तावित रकवा</th><th>त्रुटियाँ</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1</td><td>बनकटिया</td><td>5.00</td><td>प्रस्तावित क्षेत्र Canal के कुछ भाग में है। यह कई Patches में बटाँ हुआ है, तथा वनों का घनत्व अधिक प्रतीत हो रहा है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>चिरूगोरा</td><td>10.00</td><td>प्रस्तावित क्षेत्र नदी के कुछ भाग में है। CA Patches प्लॉटवार कई भागों मे विभाजित है।</td></tr>
</table></td><td>इस कार्यालय के पत्रांक 33 दिनांक 04.01.2022 (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक – 06) द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित पुनरीक्षित अवकृष्ट वनभूमि का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित डी०जी०पी०एस० सर्वे कर KML File, Polygon, Cadastral Map तथा Toposheet Map समर्पित किया गया है। क्षतिपूरक वनरोपण स्थलों के KML</td></tr>
</table>

	3	चोरायगोरा	20.00	प्रस्तावित क्षेत्र Canal के कुछ भाग में है। यह Patch प्लॉटवार कई Segments में विभाजित है।	File को ऑनलाईन भी Upload कर दिया गया है।
	4	दुधियाशोल	18.00	वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त खाली जगह प्रतीत नहीं हो रहा है।	
	5	मुराकाटी	25.00	प्लॉटवार कई Segments में विभाजित है। प्लॉट संख्या 390 में Residential Area देखा जा सकता है।	
	6	नदरिया	1.00	प्रस्तावित क्षेत्र के अन्दर तालाब पाया गया है।	
	7	पोकलोबेरा	50.00	प्लॉटवार कई Segments में विभाजित है।	
	8	रेरूआ	10.00	प्रस्तावित क्षेत्र के अन्दर प्लॉट संख्या 519 में Residential Area दिखाई पड़ रहा है।	
	9	मुराथाकुरा	35.00	प्रस्तावित क्षेत्र Canal के बीच से पास होता दिखाई पड़ रहा है। साथ ही प्लॉट संख्या 441 एवं 736 में Residential Area दिखाई पड़ रहा है। Patch प्लॉटवार कई Segments में विभाजित है।	
	10	सरारूबेरा	19.00	प्रस्तावित CA क्षेत्र झारखण्ड राज्य के सीमा से करीब 200m बाहर West Bengal में दिखाई पड़ रहा है, तथा Forest Crop कई स्थानों पर काफी Dense प्रतीत होता है।	

अतः प्रस्ताव में Specific Recommendation of DFO एवं Site Inspection Note of DFO, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र अलग से समर्पित की जाएगी।

प्रस्ताव में इंगित शेष सभी त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी आठ–आठ प्रतियों में आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

आपका विश्वासी

25/06/2022

वन प्रमंडल पदाधिकारी
जमशेदपुर वन प्रमंडल
जमशेदपुर।